

बिहार सरकार
श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग
बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति
आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा (संशोधन) योजना 2024 के अंतर्गत श्रम अधीक्षक, बेगूसराय के ज्ञापांक (कॉलम 4 में वर्णित) से 06 श्रमिकों के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत उनके आश्रितों को रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए) प्रति कामगार की दर से कुल राशि रु० 3,00,000/- (तीन लाख रुपए मात्र) एवं दुर्घटना में मृत 01 श्रमिक के आश्रित को रु० 2,00,000/- (दो लाख रुपए) प्रति कामगार की दर से रु० 2,00,000/- (दो लाख रुपए) अर्थात् कुल राशि रु० 5,00,000/- (पांच लाख रुपए मात्र) अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र.सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम (संबंध)/ दावेदार	श्रम अधीक्षक का पत्रांक/ दिनांक	पता/मो० नं०	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक का नाम एवं आई.एफ.एस. सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/निःशक्तता का ब्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	स्व० अशोक कुमार राम, 43, राम उदगार राम, अनु० जाति	रीना देवी, (पत्नी)	923 18.05.2026	ग्रा०-रामपुर घाट, पो०-सकरोली, था०+प्र०-चेरिया बरियारपुर, जिला-बेगूसराय, मो०-8260961928	146701006 06001	UCO Bank, UCBA00 01467	रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, राजमिस्त्री के हेल्पर का कार्य
2	स्व० रामविलाश राम, 61, रामेश्वर राम, अनु० जाति	दानावती देवी, (पत्नी)	924 18.05.2026	ग्रा०-रामपुर घाट, पो०-सकरोली, था०+प्र०-चेरिया बरियारपुर, जिला-बेगूसराय, मो०-7250919471	146701006 02166	UCO Bank, UCBA00 01467	रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि एवं पशुपालन का कार्य
3	स्व० तीला देवी, 41, उपेन्द्र सदा, अनु० जाति	उपेन्द्र सदा, (पति)	940 21.05.2026	ग्रा०+पो०-कुम्भी, था०+प्र०-चेरिया बरियारपुर, जिला-बेगूसराय, मो०-8825231473	146732110 15871	UCO Bank, UCBA00 01467	रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, खेतिहर मजदूर का कार्य
4	स्व० सरिता देवी, 42, कुशो पासवान, अनु० जाति	कुशो पासवान, (पति)	942 21.05.2026	ग्रा०-मलहडीह, पो०-डीहपर, थाना+प्र०-वीरपुर, जिला-बेगूसराय, मो०-9229033360	159701101 43704	UCO Bank, UCBA00 01597	रु० 2,00,000/- (दो लाख रुपए)	दुर्घटना मृत्यु, खेतिहर मजदूर का कार्य
5	स्व० प्रमोद पासवान, 49, युगेश्वर पासवान, अनु० जाति	नीलम देवी, (पत्नी)	951 21.05.2026	ग्रा०-सोहिलवाड़ा, पो०-मंसुरचक, थाना+प्र०-मंसुरचक, जिला-बेगूसराय, मो०-7461995017	382001101 58909	DBGB PUNB0 MBGB06	रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, खेतिहर मजदूर का कार्य
6	स्व० हरेराम पासवान, 44, स्व० दुनीलाल पासवान, अनु० जाति	शांति देवी, (पत्नी)	958 21.05.2026	ग्रा०-राजापुर सिकरहुला, पो०-हैबतपुर, था०+प्र०-वीरपुर, जिला-बेगूसराय, मो०-9347630210	159701000 05242	UCO Bank, UCBA00 01597	रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, राजमिस्त्री के हेल्पर का कार्य
7	स्व० बालमिकी पासवान, 60, रामलगन पासवान, अनु० जाति	ललिता देवी, (पत्नी)	971 25.05.2026	ग्रा०+पो०-विष्णुपुर आहोक, थाना+प्र०-साहेबपुर कमाल, जिला-बेगूसराय, मो०-9110985979	358442941 50	SBI, SBIN000 2964	रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, राजमिस्त्री के हेल्पर का कार्य

कुल:-रु० 5,00,000/-
(पांच लाख रुपए मात्र)



2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8) का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव-सह-सभापति-कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रोहित कुमार)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(राजेश भारती)

कार्यकारी निदेशक

ज्ञाप संख्या :- श्रम क०सं०-62/2026(अंश)-1206

पटना, दिनांक :- ०५/०९/2026

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि **रु० 5,00,000/- (पांच लाख रुपए मात्र)** बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/श्रम अधीक्षक, बेगूसराय/उप श्रमायुक्त, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आईटी मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

07/09/2026

(रोहित कुमार)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

Rajesh Bharti

(राजेश भारती)

कार्यकारी निदेशक